(38)

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. निगरानी R 814- III/14

दिलीप कुमार पारीक, अभि. 6-3-14 को

क्लर्क ऑफ कोर्ट 6-3-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. रविन्द्र कुमार इंगले पिता पी. डी. इंगले आयु लगभग 55 साल
2. शोभा इंगले पत्नी श्री रविन्द्र कुमार इंगले आयु लगभग 52 साल
3. रामकृष्ण गुप्ता पिता उकारबक्ष सिंधी आयु 56 साल निवासी सदर बाजार राजगढ़ ——————

आवेदक

विरुद्ध

गुलाब सिंह पिता कनीराम गूजर निवासी बेडाकापुर तेह. राजगढ़ जिला राजगढ़ म.प्र.

अनावेदक

6/3/14

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 आदेश दिनांक 17–02–14 पारित द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय राजगढ़ के प्रकरण क्र. बी – 121/12–13 से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत है।

संक्षिप्त विवरण

यहकि अनावेदक गुलाब सिंह द्वारा के आवेदन पत्र धारा 115–116 भू. रा. सं. के अंतर्गत आपत्ति आवेदक गण द्वारा की गई आपत्ति निरस्त की गई दिनांक 17–02–14 को।

निगरानी के आधार

1 यह कि धारा 115 मे किसी भी प्रकार का आदेश स्व–प्रेरणा से किया जा सकता है। आवेदन पर अनावेदक द्वारा आवेदन पर कार्यवाही किया जाना प्रथमदृष्टया अवैध होने से निरस्त्री योग्य है।

2. यह कि धारा 116 मे किसी भी अशुद्व प्रविष्टि का शुद्वि करण एक वर्ष के भीतर किया जा सकता है जबकि अनावदेक को इस शुद्विकरण की जानकारी 1991 मे थी। लगभग 22–23 वर्षो के पश्चात इंद्राज को अशुद्व कह कर ठीक नही कराया जा सकता। माननीय तहसीलदार महोदय ने अवैध एवं अनुचित आदेश पारति किया है जो कि निरस्त योग्य है।

3. यह कि अनावेदक गुलाब सिंह से निगरानी प्रकरण 74/अ/7/2006–2007 से न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय राजगढ़ मे आदेश 11–04–08 के परिपालन मे श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय राजगढ़ द्वारा उनके प्रकरण क्र 7/अ 12/2006–07 मे दो राजस्व निरीक्षको की सयुंक्त टीम बनाकर निरीक्षण कराया था। आवेदक एवं अनावेदक दोनो मौके पर उपस्थित थे एवं उनके और गवाहो के हस्ताक्षर भी थे। उक्त प्रकरण माननीय नायब तहसीलदार के यहा उपलब्ध है जिसका प्रकरण क्र. 7/अ 12/2007। इस प्रकार आदेश विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है।

R 814-PBR/14 [illegible]

23-12-15	राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर आवेदक की ओर से सूचना उपरान्त कोई उपस्थित नहीं। आना० शासन की ओर से श्री जे.एस. गौड उप0। समय समय पर तीन बार पुकार लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। सदस्य	Noted 23/12/15 (J.S. Gaur) Adv.

शाक्षेमुग्वा—714—असरामयप्रग्वा—29-2-2012—15,000.